न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 59/2024

रामकुमार पुत्र श्री लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. तनसुख राम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. चानण राम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
3. धर्मपाल पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
5. एस बी आई बैंक शाखा उद्योग विहार, रीको जरिए प्रबन्धक
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा चक 4 एम एल जरिए प्रबन्धक

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलराम सुथार — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — अप्रार्थी संख्या 4
3. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.06.2025

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का पेशा काश्तकारी है और प्रार्थी के नाम चक 4 एम एल पटवार हल्का 4 एम एल के खाता संख्या 121/34 नया पुराना के मुरब्बा नं 54 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 20, 21 सालम–सालम व 22/2 में 0.168 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी की ढ़ाणी किला नं० 1 व 10 में बनी हुई है। चक 4 एम एल पटवार हल्का 4 एम एल के खाता संख्या 39/33 नया पुराना के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 2/2 में 0.247 हैक्टेयर, 9/4 में 0.164 हैक्टेयर, किला नं0 13/1 में 0.168 व किला नं0 18 व 23 सालम कुल 1.085 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चक 4 एम एल पटवार हल्का 4 एम एल के खाता संख्या 31/22 नया पुराना के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 3, 4, 7 प्रत्येक सालम व किला नं0 8/1 में 0.168 हैक्टेयर, 14, 17, 24 सालम कुल 1.686 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चक 4 एम एल पटवार हल्का 4 एम एल के खाता संख्या 53/41 नया पुराना के मुरब्बा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नं0 54 के किला नं0 5/2 में 0.2404 हैक्टेयर, 6/4 में 0.2404 हैक्टेयर, किला नं0 15/6 में 0. 2404 व किला नं0 16/8 में 0.2404 किला नं0 25/10 में 0.2404 हैक्टेयर कुल 1.202 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 4 एम एल पटवार हल्का 4 एम एल के खाता संख्या 121/34 नया पुराना के मुरब्बा नं० 54 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 20, 21 सालम–सालम व 22/2 में 0.168 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी की ढ़ाणी किला नं० 1 व 10 में बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी को आने जाने के लिए मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 2 ता 5 में से 1–1 बिस्वा यानि 8–1/4 फुट चौड़ा एवं 165 फीट लम्बा प्रत्येक बीघे में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में मौके पर रास्ता चालू है और प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 पूर्व में संयुक्त खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थे और बाद में सहमति से किलावाईज भूमि का बंटवारा कर अपने–अपने कब्जाकाश्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा लिया और जो रास्ता मौके पर चालू है उसे संयुक्त खाते में सभी पक्षकारों की सहमति से छोड़ा गया था और उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अमल दरामद आज तक नहीं करवाया गया है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में आते जाते रहते है। और पूर्व में खाता तकसीम के समय सभी पक्षकारों द्वारा अपनी सहमति व रजामन्दी से रास्ता छोड़ा गया था और इसी कारण प्रार्थी द्वारा अपनी ढ़ाणी मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 1 व 10 में बनाकर निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि मुरब्बा नं० 54 के किला नं0 2 ता 5 में से 1–1 बिस्वा यानि 8–1/4 फुट चौड़ा एवं 165 फीट लम्बा प्रत्येक बीघे में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में मौके पर प्रत्येक बीघे में रास्ता चल रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना चाहता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बार–बार उक्त चालू रास्ता को बन्द करने की फिराक में है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपने खेत में आ जा नहीं सकेगा। इसलिए उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना अत्यधिक आवश्यक है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता को बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व अपनी कृषि भूमि पर खेती करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है । पूर्व में उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज थी और अर्सा पूर्व पारिवारिक समझौता कर किलावाईज भूमि का बंटवारा कर लिया और उसी बंटवारेनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा खाता विभाजन करवा लिया जो मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 2 ता 5 में जो रास्ता चल रहा है उसकी एवज में प्रार्थी द्वारा पूर्व में ही 4 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा स्वरूप दे दी गई परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करवाया गया। और वर्तमान में रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 2 ता 5 में चल रहे रास्ते को स्वीकृत करवा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु स्पष्ट इंकार कर दिया गया एवं रास्ता बन्द करने की धमकी दी गयी इसलिए प्रार्थी को श्री मान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व उचित न्यायशुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है एवं अप्रार्थी संख्या 5, 6 के पास रकबा रहन होने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीरंगानगर

Scanned with CamScanner

कर निवेदन है कि चक 4 एम एल तहसील गंगानगर के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 2 ता 5 में से 1–1 बिस्वा यानि 8–1/4 फुट चौड़ा एवं 165 फीट लम्बा प्रत्येक बीघे में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में मौके पर चल रहे रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाए जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5, 6 की विधिवत तामील करवाने जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

<u>– :: आदेश ::–</u>

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए रास्ता का अभाव है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए., एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आने जाने हेतु कि चक 4 एम एल तहसील गंगानगर के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 2 ता 5 में से 1–1 बिस्वा यानि 8–1/4 फुट चौड़ा एवं 165 फीट लम्बा प्रत्येक बीघे में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में मौके पर चल रहे रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.06.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन अतिरिक्त कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner